न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 102/2019(2019/00166)

अनवान : –

1. संजीव पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र हरदत जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुशीला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रतनसिंह धारीवाल वादीगण
श्री संदीप गोदारा प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 17/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के वर्तमान खाता सं 101/97 के मु0न0 32 किला न0 21, मु0 न0 33 के किला न0 1, 7 ता 25 कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.9850 है0 रास्ता 0.025 है0 खाला 0.050 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल का 2/7 हिस्सा व चक 18 एएमएस के मु0 न0 3 के किला न0 11, 19, 20, 21 मु0 न0 4 के किला न0 6 ता 9, 13 ता 15, मु0 न0 8 के किला न0 16, 25 मु0 न0 9 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 10 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 21, 22 की कुल 7.8430 हैक्टेयर नहरी 7.6180 है0 खाला 0.2250 है0 में प्रतिवादी मनफूल के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासति होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरदत की खातेदारी हुआ करती थी। हरदत के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी मनफूल के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी मनफूल कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी मनफूल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मनफूल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल को वादी के दादा हरदत से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी चक 18 एएमएस सम्वत 2029—2038 के खाता संख्या 43 एवं चक 15 एएमएस जमाबनदी सम्वत 2029—38 खाता संख्या 62 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 15 एएमएस के खाता संख्या 101/97 की कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी में 1/4 हिस्सा व चक 18 एएमएस के खाता संख्या 59/61 की कुल 7.8430 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने ईकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट का जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी संजीव पुत्र मनफूल निवासी गांधीबड़ी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 18 एएमएस सम्वत 2073—76 खाता संख्या 59/61 प्रदर्श 1, जमाबदी चक 15 एएमएस सम्वत 2072—75 खाता संख्या 101/97 प्रदर्श 2, जमाबन्दी भू प्रबन्धन विभाग चक 15 एएमएस सम्वत 2029—38 खाता संख्या 62 प्रदर्श—3, जमान्दी भू प्रबन्धक विभाग चक 18 एएमएस सम्वत 2029—38 खाता संख्या 43 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 15 एएमएस के वर्तमान खाता सं 101/97 के मु0न0 32 किला न0 21, मु0 न0 33 के किला न0 1, 7 ता 25 कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.9850 है0 रास्ता 0.025 है0 खाला 0.050 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल का 2/7 हिस्सा व चक 18 एएमएस के मु0 न0 3 के किला न0 11, 19, 20, 21 मु0 न0 4 के किला न0 6 ता 9, 13 ता 15, मु0 न0 8 के किला न0 16, 25 मु0 न0 9 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 10 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 21, 22 की कुल 7.8430 हैक्टेयर नहरी 7.6180 है0 खाला 0.2250 है0 में

प्रतिवादी मनफूल के नाम 1/4 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे ईकबालदावा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के वर्तमान खाता सं 101/97 के मु0न0 32 किला न0 21, मु0 न0 33 के किला न0 1, 7 ता 25 कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.9850 है0 रास्ता 0.025 है0 खाला 0.050 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल का 2/7 हिस्सा व चक 18 एएमएस के मु0 न0 3 के किला न0 11, 19, 20, 21 मु0 न0 4 के किला न0 6 ता 9, 13 ता 15, मु0 न0 8 के किला न0 16, 25 मु0 न0 9 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 10 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 21, 22 की कुल 7.8430 हैक्टेयर नहरी 7.6180 है0 खाला 0.2250 है0 में प्रतिवादी मनफूल के नाम 1/4 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संजीव व पवन कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 मनफूल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुशीला ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 मनफूल के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 102/2019(2019/00166)

अनवान : –

1. संजीव पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र हरदत जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुशीला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रतनसिंह धारीवाल व वकील प्रतिवादी श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के वर्तमान खाता सं 101/97 के मु0न0 32 किला न0 21, मु0 न0 33 के किला न0 1, 7 ता 25 कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.9850 है0 रास्ता 0.025 है0 खाला 0. 050 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल का 2/7 हिस्सा व चक 18 एएमएस के मु0 न0 3 के किला न0 11, 19, 20, 21 मु0 न0 4 के किला न0 6 ता 9, 13 ता 15, मु0 न0 8 के किला न0 16, 25 मु0 न0 9 के किला न0 5, 6, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 10 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19, 20, 21, 22 की कुल 7.8430 हैक्टेयर नहरी 7.6180 है0 खाला 0.2250 है0 में प्रतिवादी मनफूल के नाम 1/4 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी संजीव व पवन कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 मनफूल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुशीला ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 मनफूल के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा (जिला हनुमानगढ़)